प्रेस नोट थाना सदर बाजार
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 02.05.2025

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चोरी के 02 अभियोगों का खुलासा करते एक मुकदमें में चोरी हुए जेवर व पैसे तथा दुसरे मुकदमें में ई-रिक्शा से चोरी हुई बैट्री को बरामद कर चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम मे थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.04.2025 को थाना सदर बाजार पर वादी मो0 हनीफ पुत्र बुद्धन नि0 ग्राम मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उनके घर से रात्रि मे सोने चांदी के जेवरात व नगद पैसे की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 232/2025 धारा 331(4),305 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था ।

तथा दिनांक 30.04.2025 को वादी मो0 इकबाल पुत्र इमामी नि0 ग्राम मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उनके घर के सामने रोड पर खड़े ई- रिक्शा रजिस्ट्रेशन UP27BT2226 में से चारों बैटरी तसलीम पुत्र जलील अली व उसके साथियों निवासीगण मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मु0अ0स 250/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

उक्त दोनो अभियोगों की विवेचना उ0नि0 श्री रंजीत बहादुर सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02.05.2025 को दोनों मुकदमों की घटना कारित करने वाले प्रकाश मे आये/नामित अभियुक्त तस्लीम पुत्र जलील अली निवासी ग्राम मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 08.03 बजे कैण्ट स्थित बंगला नं0 18 के पास से गिरफ्तार किया गया व दूसरा व्यक्ति मोटर साईकिल से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। मु0अ0सं0 232/25 धारा 331(4),305 बीएनएस में चोरी किए गये सामान में से एक नथ पीली धातु, एक जोड़ी झुमकी पीली धातु व 76500 रूपये नकद तथा व मु0अ0सं0 250/25 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित एक अदद बैटरा व एक अदद मोटरसाईकिल बरामद की गयी । जरिये उचित माध्यम मु0अ0सं0 232/25 के वादी मो0 हनीफ पुत्र बुद्धन व मु0अ0सं0 250/25 के वादी मो0 इकबाल पुत्र इमामी निवासीगण मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर को मौके पर बुलाकर बारमद माल दिखाया गया तो मु0अ0सं0 250/25 के वादी मो0 इकबाल ने बरामद बैट्रा को पहचान कर बताया कि ये मेरे ई रिक्शा से चोरी हुआ बैट्रा ही है तथा मु0अ0सं0 232/25 के वादी मो0 हनीफ ने बरामद झुमकी व नथ देखकर पहचान व तस्दीक किया कि यह उन्ही चोरी गये सामान मे से बरामद सामान है। चोरी गये सामान की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 232/25 धारा 331(4),305 बीएनएस व मु0अ0सं0 250/25 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएएस की बढोतरी की गयी । मुकदमा उपरोक्त में फरार अन्य दो अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है व गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

तस्लीम पुत्र जलील अली उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम मऊ खालसा, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर ।

फरार अभियुक्तगण :-

1. अरमान पुत्र युसुफ निवासी ग्राम मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
2. युसुफ पुत्र घसीटे निवासी ग्राम मऊ खालसा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान :-

दिनांक 02.05.2025 को समय करीब 08.03 बजे कैण्ट स्थित बंगला नं0 18 के पास से

बरामदगी:-

1 एक नथ पीली धातु

2 एक जोड़ी झुमकी पीली धातु

3 76500 रूपये नगद

5 एक अदद बैट्रा रंग सफेद व नीला जिस पर अग्रेजी मे FAST TRACK लिखा है

5 एक अदद मोटर साईकिल एच0 एफ0 डिलक्स रजि0 नं0 UP27AM 3578

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह चौहान

उ0नि0 रणजीत बहादुर सिंह

का0 2686 मनीष कुमार

का0 2070 मोनू कुमार

पूछताछ का विवरण

बरामद जेवर, पैसों व बैटरी के बारे में अभियुक्त से पूछताछ की गई तो बताया कि यह बैट्री मैनें अपने दोस्त अरमान व उसके पिता यूसुफ के साथ मिलकर दिनांक 22.04.2025 को इकबाल के ई-रिक्शे से 04 बैट्रे चोरी किये थे जिसमे से 03 बैट्रे अरमान व उसके पिता युसुफ के पास हैं और यह बैट्रा में व अरमान बेचने के लिए लाये थे, बरामदा पीली धातु के नथ , एक जोड़ी झुमके व पैसों के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि मैने अपने दोस्त अरमान व उसके पिता युसुफ के साथ मिलकर गांव के ही मो0 हनीफ के घर से जो माल जेवर पैसा चोरी किया था , ये उसी चोरी के जेवर व पैसे हैं। शेष जेवर व पैसा अरमान व उसके पिता युसुफ के पास है , मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि ये मोटरसाईकिल अरमान की है, और गहराई से पूछने पर बताया कि गांव के मो0 हनीफ का पूरा परिवार दिल्ली गया था, जिसकी जानकारी हमको व अरमान को हो गयी तो मैने अरमान व उसके पिता युसुफ से मिलकर मो0 हनीफ के घर से जेवर व पैसा चोरी किये थे, जो नगद पैसे मो0 हनीफ के घर से चोरी मे मिले थे वह पैसे हम तीनों ने उसी दिन बांट लिये थे जो पैसा व जेवर व बैट्री आज मुझसे बरामद हुआ है वह वही पैसे हैं। हम लोगों को मो0 हनीफ के घर से चोरी मे जो जेवर मिले थे, उस जेवर को हम थोड़े-थोड़े करके बेच रहे हैं, आज मैं व अरमान बरामद नथ व झुमकी बेचने आये थे, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।